छबड़ा दंगे के आरोपी मुख्यमंत्री की रोजा इफ्तार पार्टी में कैसे पहुंच गये? : प्रताप सिंह सिंघवी

अगर इनविटेशन सी.एम.ओ.के यहां से जारी हुआ तो बता दो : धारीवाल

- धारीवाल ने कहा कि रोजा इफ्तार पार्टी हर वर्ष होती है और निश्चित तौर पर कई लोगों को आमंत्रित किया जाता है। कई बार देखा गया कि एक हजार आदमियों को बुलाया जाता है और पंहुच जाते हैं दो हजार आदमी। अब वो किसी के साथ आकर चला गया तो किसने पहचाना कौन क्या है क्या नही है।
- सिंघवी ने पूछा कि दंगे के आरोपी छबड़ा में खुले में घूम रहे हैं, क्या उन्हें पकड़ने के लिये दो साल लगते हैं?

जयपुर, (वि.सं.)। छबड़ा विधायक व पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी ने गुरुवार को विधानसभा में प्रश्नकाल में छबड़ा में हुए सांप्रदायिक दंगे का मामला उठाया। सिंघवी ने पूछा कि छबड़ा दंगे के नामजद आरोपियों को दो वर्ष बाद भी गिरफतार नहीं करने के क्या कारण हैं। इस लापरवाही के लिए कौन कौन अधिकारी जिम्मेदार है।

नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने जवाब में कहा कि बड़ा प्रकरण है। छबड़ा में 11 अप्रैल 2021 को सांप्रदायिक दंगा हुआ। आगजनी हुई लुटपाट हुई कुल मिलाकर 24 प्रकरण दर्ज हुए 24 में 22 प्रकरण सिविलियंस ने दर्ज करवाए और 2 थानाधिकारी ने दर्ज करवाएं। शुरु में दर्ज प्रकरणों की जांच हुई उसमें 152 आदमियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। फिर अनुसंधान चालू हुआ। अनुसंधान के दौरान 137 व्यक्तियों के नाम और जोड़ दिए गए। इस प्रकार 289 व्यक्तियों के विरुद्ध जांच शुरू हुई। प्रकरण में 289 आदमियों में अनुसंधान के दौरान 85 आदमियों को दोषी नहीं माना। कुल मिलाकर 204 आदमी शेष रह गए। 204 व्यक्तियों को दोषी माना गया। 116 व्यक्तियों को तो गिरफ्तार कर लिया गया और 65 आरोपियों ने हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत ले ली जिन्होंने थाने में जमानत तस्दीक करवा ली है। कुल मिलाकर 23 आदमी शेष रह गए।

सिंघवी ने पूछा कि जो मुल्जिम छबड़ा में खुले में घूम रहे हैं, क्या उनको पकड़ने में क्या दो साल लगते है? आरोपी मुख्यमंत्री की रोजा इफतार पार्टी में जिला कलक्टर की अनुमति के बिना कैसे पंहुच गए। इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? मंत्री ने जवाब में कहा कि रोजा इफतार पार्टी हर वर्ष होती है और निश्चित तौर पर कई लोगों को आमंत्रित किया जाता है। कई बार देखा गया कि एक हजार आदमियों को बुलाया जाता है और पंहुच जाते हैं दो हजार आदमी। अगर इनविटेशन सीएमओ के यहा से जारी हो गया हो तो वो बता दो। अब वो किसी के साथ आकर चला गया तो किसने पहचाना कौन क्या है क्या नही है। इस पर सिंघवी ने आपत्ति की और कहा कि इनविटेशन कलक्टर के यहां से आया है कि मुख्यमंत्री के यहां रोजा इफतार पार्टी में पंहुचना है। तो मुल्जिम का नाम कैसे भेज दिया। इस पर कुछ विधायकों ने हंगामा किया। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगर इनविटिशन सीएमओ से गया है तो पेश कर दे उस पर कार्रवाई होगी।

लोकेन्द्र सिंह कालवी जैसी शख्सियत सैंकड़ों साल में होती है : सुरेश मिश्रा

राजपूत नेता करणी सेना के संस्थापक एवं संस्कृति युवा संस्था के प्रधान संरक्षक स्व.लोकेन्द्र सिंह कालवी के निधन पर गुरूवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन खंडाका हाउस, पीलत फैक्ट्री के पास बनीपार्क जयपुर पर किया गया।

जयपुर, (का.सं.)। राजपूत नेता करणी सेना के संस्थापक एवं संस्कृति युवा संस्था के प्रधान संरक्षक लोकेन्द्र सिंह कालवी का आकस्मिक निधन 14 मार्च को सवाई मानसिंह अस्पताल में हो गया है। जिनकी श्रद्धांजलि सभा आज खंडाका हाउस, पीलत फैक्ट्री के पास बनीपार्क जयपुर पर रखी गई। जिसमें शहर के नागरिकों ने श्रद्धासुमन अर्पित की। संस्कृति युवा संस्था के अध्यक्ष पं. सुरेश मिश्रा ने बताया कि लोकेन्द्र कालवी जैसी शख्स सैंकड़ों साल में होती है। जिन्हे हमेशा याद किया जायेगा।

इस अवसर पर विप्र कल्याण बोर्ड के चैयरमेन महेश शर्मा, पूर्व महापौर ज्योति खण्डेलवाल, कांग्रेस प्रत्याशी सीताराम अग्रवाल, कांग्रेस नेता सुशील आसोपा, हरेन्द्र पाल सिंह जादौन, एल.सी. भारती, प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा, सुरेन्द्र शर्मा , सनील जैन, गौरव धामाणी, बाबूलाल शर्मा, एडवोकेट बी.बी.शर्मा , कमलेश शर्मा , दिनेश शर्मा , अविकुल शर्मा , प्रमोद शर्मा , हेमंत शर्मा, पप्पू श्रीमाल, पं. सुरेश शर्मा सहित जयपुर के लोगो ने श्रद्धासुमन अर्पित की है।

मौसम विभाग ने चार दिन तक जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश, ओले गिरने व आंधी का अलर्ट जारी किया है। इसी समय फसल काटने व मंडियों में लेकर जाने का वक्त चल रहा है जिससे किसान की परेशानी बढ़ गई है। जयपुर में सीकर रोड स्थित कूकर खेड़ा मंडी में जौ की फसल बिकने के लिए आना शुरू हो गई और वो खुले आसमान के नीचे रखी है, जो कि बारिश होने पर खराब हो सकती है। *फोटो : दिनेश भारद्वाज*

ग्रीन जोन की कॉलोनियों के नियमन का मामला उठा

जयपुर, (वि.सं.)। जयपुर में इकोलॉजिकल जोन में बसी कॉलोनियों के नियमन से जुड़ा प्रश्न विधायक रफीक खान की ओर से पूछा गया। इसके जवाब में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि जयपुर के आगरा रोड पर इकॉलोजिकल जोन में बसी कॉलोनियों का मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने बताया कि 12 जनवरी 2017 को जोधपुर उच्च न्यायालय द्वारा आदेश जारी किया गया था कि इकोलॉजिकल जोन में पट्टे नहीं दिए जा सकते। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में वर्ष 2017 से पहले इकोलॉजिकल जोन में 37 पट्टे दिये गये थे। धारीवाल ने बताया कि उच्च न्यायालय के फैसले के विरूद्ध जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उच्चतम न्यायालय में एसएलपी दायर की गई है, अगर फैसला राज्य सरकार के पक्ष में आता है तो उस क्षेत्र में इकोलॉजिकल जोन में बसी कॉलोनियों को पट्टे दे दिए जाएंगे।

22 गोदाम कब्रिस्तान से दो माह में कब्जे हटाने के आदेश

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड को आदेश दिए हैं कि वह 22 गोदाम स्थित कब्रिस्तान की भूमि से जल्दी से जल्दी और अधिकतम दो माह में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी करे। अदालत ने कहा है जिन अतिक्रमियों को बोर्ड की ओर से नोटिस दिए गए हैं, उन्हें सुनवाई के दौरान अनावश्यक तारीखें नहीं दी जाए। एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस अनिल उपमन की खंडपीठ ने यह आदेश मोहम्मद अशफाक खान व अन्य की जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए दिए। अदालत ने स्पष्ट किया है कि मामले में कोर्ट की ओर से अतिक्रमियों को नोटिस नहीं दिए गए हैं। ऐसे में कोर्ट मामले की मेरिट पर जाए बिना सिर्फ बोर्ड की ओर से पेश रिकॉर्ड के आधार पर जांच करने के आदेश दिए जा रहे हैं।

सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में वक्फ बोर्ड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सना सिद्दीकी कोर्ट में पेश हुई। उनकी ओर से अदालत को बताया गया कि अतिक्रमणों की शिकायतों को गंभीरता से लिया गया है। बोर्ड ने अतिक्रमियों को नोटिस जारी कर कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने अदालत को बताया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी होने में करीब दो माह का समय लगने की संभावना है। इस पर अदालत ने उनके बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए अधिकतम दो माह में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं।

जनहित याचिका में कहा गया कि 22 गोदाम स्थित कब्रिस्तान की करीब आठ बीघा भूमि में से आधी से भी अधिक भूमि पर लोगों ने अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया है। वहीं वक्फ बोर्ड की ओर से अतिक्रमियों को नोटिस देने के अलावा उन्हें बेदखल करने की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। इस पर सुनवाई करते हुए पूर्व में अदालत ने आदेश जारी कर वक्फ बोर्ड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी को रिकॉर्ड सहित पेश होने के आदेश दिए थे।

'जल जीवन मिशन लक्ष्य हासिल हों'

जयपुर, (का.सं.)। कलक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने जयपुर जिले में जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा की।

उन्होंने कहा कि जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग और डिस्कॉम के अधिकारी आपसी सहयोग एवं समन्वय से कार्य करते हुए ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन करें, ताकि योजना के तहत जिले को मिले लक्ष्य को शत प्रतिशत हासिल किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण) रमेश चन्द मीना ने जानकारी दी कि जिले में अभी तक जल जीवन मिशन के तहत 44.62 फीसदी कवरेज हासिल किया जा चुका है जबकि प्रदेश का कुल औसत 33.87 प्रतिशत है।

राजस्थानी भाषा को राजभाषा बनाने की मांग उठाई राजेन्द्र राठौड़ ने

- मंत्री ने संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री से प्रार्थना करने का किया आग्रह

जयपुर, (वि.सं.)। विधानसभा में गुरुवार को प्रतिपक्ष के उपनेता राजेन्द्र राठौड़ ने ध्यानाकर्षण के जरिये राजस्थानी भाषा को राजभाषा बनाने समेत तृतीय भाषा के रूप में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जोड़ने के संबंध में मांग उठाई। राठौड़ ने कहा कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए आप 1956 के एक्ट में संशोधन लाए, ताकि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिल सके।

राठौड़ के इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जवाब देते हुए मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि केंद्र राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। कल्ला ने कहा कि 25 अगस्त 2003 को एक प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव में पक्ष-विपक्ष के सदस्य थे। कई बार अलग-अलग मुख्यमंत्रियों के काल में प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा गया। लेकिन अभी भी पूरा मामला विचाराधीन है। मंत्री ने कहा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी हमारे साथ प्रधानमंत्री से मिलकर रिक्वेस्ट करते हैं कि राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में से जोड़ा जाए। इसके बाद राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि अगर 1956 के एक्ट में संशोधन होता है तो यह रास्ता साफ हो सकता है। मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि निश्चित तौर से मुझे भी इस बात का अफसोस है कि 20 साल तक इस मामले पर कुछ नहीं हुआ।

प्रदेश में 14 नए करोना संक्रमित मिले

जयपुर। प्रदेश में करोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है। इसके चलते गुरूवार को राज्य में 14 नए संक्रमित मिले हैं। इस बीच किसी भी मरीज के रिकवर नहीं होने से एक्टिव केस बढ़कर 70 हो गए हैं।

प्रदेश में गुरूवार को उदयपुर में 5, बीकानेर व जयपुर में 3-3, भीलवाड़ा में 2 तथा अजमेर में 1 नया संक्रमित मिला है। इससे पहले राज्य में बुधवार को 11 रोगी पाए गए थे। प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में कोई भी मरीज ठीक नहीं हुआ है। प्रदेश में गुरूवार को करोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। हालांकि अब तक इस बीमारी से 9556 लोगों की मौत हो चुकी है।

संविदा कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी

जयपुर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-द्वितीय के तहत नियोजित 195 संविदा कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स-2022 के तहत इन संविदा कार्मिकों के मासिक समेकित पारिश्रमिक का निर्धारण करने के साथ-साथ 9 एवं 18 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर उच्चतर मानदेय एवं पदनाम दिया जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार, स्वच्छ भारत मिशन में नियोजित लेखाकार तथा एमाआईएस कम एम एण्ड ई का मानदेय 16900 रुपए निर्धारित किया गया है। वहीं, मिशन के तहत कार्यरत जिला परियोजना समन्वयक, ब्लॉक समन्वयक तथा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर का मानदेय क्रमश: 18900, 13150 एवं 10400 रुपए निर्धारित किया गया है। लेखाकार तथा एमाआईएस कम एम एण्ड ई का मानदेय 9 तथा 18 वर्ष संविदा सेवा अवधि पूर्ण करने पर बढ़कर क्रमश: 29600 एवं 51600 हो जाएगा।

टोंक-केशोरायपाटन राजमार्ग के लिए 16 करोड़ रुपए स्वीकृत

जयपुर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टोंक से बूंदी के केशोरायपाटन राज्य राजमार्ग के सुदृढ़ीकरण और सड़क को चौड़ा करने हेतु 16 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

प्रस्ताव के अनुमोदन से राज्य राजमार्ग-34 के 18.7 कि.मी. लम्बाई में सुदृढीकरण एवं विकास कार्य हो सकेंगे। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से स्थानीय लोगों को आवागमन में सुगमता होगी।

दिव्यांग ओमप्रकाश को स्कूटी स्वीकृत करने का आदेश

- जिला स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम में 211 फरियादियों की हुई सुनवाई

जयपुर, (का.सं.)। टोंक फाटक स्थित ग्राम रामपुरा रूपा की आदर्श बस्ती के 45 बाशिंदों के चेहरे उस वक्त खिल गए जब उनके आशियाने के मालिकाना हक का 60 साल का इंतजार खत्म हुआ। जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने तहसीलदार, जयपुर को बस्ती की भूमि को राजकीय भूमि घोषित कर जयपुर नगर निगम, ग्रेटर को हस्तांतरित करने के निर्देश दिये, जिसके बाद अब वहां के बाशिंदों को पट्टे के रूप में अपने आशियाने का मालिकाना हक मिल सकेगा।

जिला परिषद सभागार में गुरुवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें जिला कलक्टर ने 211 फरियादियों के परिवाद सुने, जिनमें से 16 प्रकरणों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। कार्यक्रम में पहुंचे 42 वर्षीय दिव्यांग ओमप्रकाश कुमावत की फरियाद कलक्टर ने संवेदनशीलता के साथ सुनी, और अधिकारियों को मौके पर ही ओमप्रकाश के लिए स्कूटी स्वीकृत करने के आदेश दिये। विद्याधर नगर निवासी हरिनारायण शर्मा ने चिरंजीवी योजना के तहत एक निजी अस्पताल में करोना का इलाज करवाया था, लेकिन इलाज की राशि का पुनर्भरण काफी समय से बकाया था। कलक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित कर 18 हजार रुपये की राशि का चेक जारी करने के आदेश दिये। वहीं कार्यक्रम के दौरान 29 श्रमिकों ने भौतिक सत्यापन के आधार पर ब्लॉक हुए श्रमिक कार्ड फिर से बहाल करने की गुहार लगाई, जिस पर कलक्टर ने श्रम विभाग के अधिकारी को हाथों-हाथ आवेदनों का निस्तारण कर 8 श्रमिकों को योजनाओं का लाभ दिये जाने के निर्देश दिये, अन्य प्रकरणों में भी जल्द से जल्द राहत प्रदान करने के आदेश दिये।

मोटे अनाजों की कृषि को सभी स्तरों पर प्रौत्साहित किया जाए : राज्यपाल

- श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर का दीक्षांत समारोह आयोजित
- राज्यपाल मिश्र ने आठ स्वर्ण पदक विजेता और उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए चार छात्राओं को स्वर्ण पदक मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की

जयपुर, (का.सं.)। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विश्व की बढ़ती आबादी को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए मोटे अनाजों की खेती को सभी स्तरों पर प्रोत्साहित किए जाने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि पोषण से भरपूर मोटे अनाजों के नियमित सेवन से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनती है, इसलिए मोटे अनाजों के उत्पादों को आम जनता में लोकप्रिय करने के अधिकाधिक प्रयास किए जाने चाहिए।

राज्यपाल मिश्र गुरुवार को कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के दीक्षांत समारोह के अवसर पर राजभवन से ऑनलाइन सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत की पहल पर ही वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है और मोटे अनाजों के महत्व को समझने एवं इनके उत्पादन की जागरूकता के लिए प्रयास शुरू हुए हैं। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज बाजरा, ज्वार, रागी, कुटकी, संवा, कंगनी, चेना एवं कोदो पारम्परिक रूप से भारतीय भोजन का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में आज भी मोटा अनाज आम लोगों के भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

राज्यपाल कलराज मिश्र

राज्यपाल ने कहा कि यह समय स्मार्ट कृषि का है। रिमोट सेन्सिंग, आईओटी, रोबोटिक्स, बिग डाटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने खेती में एक नई क्रांति का सूत्रपात किया है। उन्होंने कहा कि कृषि विश्वविद्यालयों को स्मार्ट खेती से जुड़ी नई तकनीकों के प्रति किसानों को जागरूक करना होगा।

राज्यपाल मिश्र ने आठ स्वर्ण पदक विजेता और उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए चार छात्राओं को स्वर्ण पदक मिलने पर विशेष प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने विश्वविद्यालय के दुर्गापुरा स्थित राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा लौह व जिंक की प्रचुरता वाली बाजरे की दो बायो-फोर्टिफाइड संकर किस्मों के विकास की भी सराहना की। उन्होंने कृषि उद्यमिता हेतु विश्वविद्यालय के इंक्यूबेशन सेंटर द्वारा किए जा रहे कार्यों पर भी संतोष व्यक्त किया।

इस अवसर पर 32 विद्यार्थियों को पीएचडी, 75 को स्नातकोत्तर, 3 को समेकित कृषि स्नातकोत्तर उपाधियां, 985 विद्यार्थियों को कृषि स्नातक उपाधियां तथा आठ विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। राज्यपाल मिश्र ने आठ स्वर्ण पदक विजेता और उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए चार छात्राओं को स्वर्ण पदक मिलने पर विशेष प्रसन्नता व्यक्त की।

युवा संवाद का आयोजन एक से

जयपुर, (का.सं.)। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय,भारत सरकार के अधीन नेहरू युवा केंद्र संगठन की और से चयनित समुदाय आधारित संगठनों के माध्यम से देश और प्रदेश के सभी जिलों में 1 अप्रैल से 31 मई के बीच युवा संवाद भारत 2047 कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा दर्शाए गए पंच प्रण पर चर्चा और सकारात्मक संवाद होंगे। प्रधानमंत्री की प्रेरणा और मार्गदर्शन से, भारत आजादी का अमृत महोत्सव- स्वतंत्रता और अपने लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास के 75 वें वर्ष का जश्न मना रहा है।

नेहरू युवा केंद्र संगठन, जयपुर के उप निदेशक महेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया की आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा पंच प्रण पर चर्चा और प्रश्न उत्तर सत्र का नेतृत्व किया जाएगा। इस कार्यक्रम में न्यूनतम 500 युवा प्रतिभागी होंगे। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए इच्छुक समुदाय आधारित संगठन गैर राजनीतिक, गैर पक्षपातपूर्ण इतिहास वाले होंगे और युवा संवाद कार्यक्रम का संचालन करने के लिए प्रर्याप्त संगठनात्मक ताकत होगी।

आम सूचना

मैं अधोहस्ताक्षरी अपने मुवक्किल श्री अमित सिंह पुत्र श्री मगन सिंह निवासी 76-बी, जे. पी. कॉलोनी, सेक्टर-4, विद्याधर नगर, जयपुर (राज0) की ओर से सर्व साधारण को यह सूचित करता हूँ कि मेरे मुवक्किल श्री अमित सिंह जो कि अपने पिता का इकलौता वारिस है उक्त सम्पत्ति पर काबिज होते हुए इसका स्वामी है व जो कोई व्यक्ति मेरे उक्त पक्षकार की जानकारी के बिना उक्त सम्पत्ति/मकान की खरीद-फिरोख्त करता है तो ऐसा कोई भी संव्यवहार अवैध होगा व जिसके लिये तथाकथित क्रेता स्वयं जिम्मेदार होगा व कानूनी कार्यवाही का पात्र होगा। अत: सूचित रहे कि ऐसा कोई भी विक्रय पत्र/दस्तावेज़ व्यवहार से लाने से पूर्व वह तथाकथित क्रेता मेरे उक्त पक्षकार से उसके मोबाईल संख्या 9829293203 पर आवश्य सम्पर्क कर लेवे।

(कृष्ण गोपाल खत्री) एडवोकेट
मो. 7976578029, 9351115964

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email:ld dhcpr2.rhb@rajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772
क्रमांक- DHC-II/3207 दिनांक-16.03.2023

जाहिर आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 4/200 मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 162.00 वर्गमीटर/वर्गगज का आवंटन श्रीमती रूकमणी देवी पत्नी स्व. श्री बद्रीनारायण शर्मा को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 2050 दिनांक 20.01.2004 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 11.05.2004 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 2198 दिनांक 29.06.2004 के द्वारा श्रीमती निभा राठौड़ एवं श्री रमेश कुमार के नाम नियमितिकरण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वय के पक्ष मे उक्त आवास का पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर मे दिनांक 07.02.2005 को करवाया गया। श्रीमती निभा राठौड़ एवं श्री रमेश कुमार द्वारा आवास का बेचान जरिये विक्रय पत्र के श्री दीपक कुमार वाधवानी एवं श्रीमती गोदावरी देवी वाधवानी के कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वय के पक्ष मे उक्त आवास का विक्रय प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक जयपुर मे दिनांक 19.01.2015 को करवाया गया। इसके पश्चात श्रीमती गोदावरी देवी वाधवानी की मृत्यु दिनांक 19.10.2016 को हो जाने के कारण इनके पुत्र श्री दीपक कुमार वाधवानी पुत्र स्व. श्री भागचन्द ऊँक भगवान दास वाधवानी ने 1/2 अविभाजित हिस्से का मृत्यु पश्चात नाम एव तीजाडोह हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एव पंजीकृत हकदयाग प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अत: उक्त आवास के हस्तान्तरण के सबध मे किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस मे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवे, अन्यथा उक्त अवधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्री दीपक कुमार वाधवानी पुत्र स्व. श्री भागचन्द ऊँक भगवान दास वाधवानी के पक्ष मे उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। के पक्ष मे उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी।उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।

सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 1322/23
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।

प्रार्थी 1. शोभना श्रीवास्तव पत्नी श्री संजय श्रीवास्तव पुत्री स्वर्गीय श्रीमती आशा कंचन उम्र 54 वर्ष जाति कायस्थ निवासी 6/3, तृतीय तल, जंगपुरा-बी, नई दिल्ली 110014
2. रचना थपलियाल पत्नी श्री सिद्धार्थ थपलियाल पुत्री स्वर्गीय श्रीमती आशा कंचन उम्र 47 वर्ष जाति कायस्थ निवासी ए-703, 40-आईपी एक्सटेंशन, पेराडाईज अपार्टमेंट, नई दिल्ली-110092

विवाद स्थान-प्लॉट नम्बर ए-2, विजय पथ, तिलक नगर जयपुर-302004
मृतक सुधा जौहरी की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 25.04.2023

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम सुधा जौहरी पुत्री स्वर्गीय श्री धर्मवीर व शान्ता कुमारी पत्नि स्वर्गीय श्री राजेश शंकर जौहरी जाति कायस्थ निवासी प्लॉट नम्बर-ए-2 विजय पथ, तिलक नगर, जयपुर-302004 का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।

अत: उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 25 माह 04 सन् 2023 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करे। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

आज दिनांक 16 माह 03 सन् 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया। प्रार्थीगण ने मृतका सुधा जौहरी के नाम प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति बाबत LA प्रोबेट प्रमाण-पत्र चाहा है।

आज्ञा न्यायालय से
वरिष्ठ मुंसरिम
जिला एवं सैशन न्यायालय
जयपुर महानगर-प्रथम

मोहर अदालत

आम सूचना
क्रमांक-1287 दिनांक-09.03.2023

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि समिति की योजना इन्द्रा विहार-सी स्थित बिन्दायका में भूखण्ड संख्या 36 क्षेत्रफल (150 वर्गगज) का आवंटन श्री शंकर लाल पुत्र श्री श्रवण लाल को दिनांक 20.11.1996 को आवंटित किया गया था। उक्त भूखण्ड संख्या 36 के मूल दस्तावेज (पट्टा, रसीद व साईट प्लान) श्री शंकर लाल से कहीं खो गए है, जिसकी गुमशुदगी पुलिस थाना भांकरोटा में दिनांक 16.09.2013 को क्रम संख्या 162 पर दर्ज की गई है।

श्री शंकर लाल ने समिति में भूखण्ड संख्या 36 के डुप्लीकेट आवंटन पत्र के लिए आवेदन किया है। अत: किसी भी व्यक्ति, संस्था व बैंक आदि को आपत्ति हो तो समिति कार्यालय में आम सूचना जारी होने के 10 दिवस में संपर्क करें अन्यथा डुप्लीकेट आवंटन पत्र जारी कर दिया जाएगा।

हथरोई गढ़ी गृह निर्माण सहकारी समिति लि.
डी-20, बनीपार्क, मीरा मार्ग, जयपुर (राजस्थान)

खोया-पाया

मेरे मकान नं. 123/356, मानसरोवर का राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा जारी "No Dues Certicicate" कहीं खो गया है। कृपया मिलने पर सूचित करें। 7073583272 जगदीश

मेरे प्लॉट संख्या 176/28, सैक्टर 17, प्रताप नगर सांगानेर का अदेय प्रमाण पत्र कहीं गुम हो गया है मिलने पर सूचित करें। नीता शर्मा पत्नी प्रदीप शर्मा

मेरा राजस्थान फार्मेसी काउन्सिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर 20675, जारी दिनांक 23.07.2005 कहीं खो गया है। मिलने पर सूचित करें-अजय भारद्वाज 9928236280

मेरा मकान सं. 262/389, प्रताप नगर सांगानेर जयपुर के मूल दस्तावेज आवंटन पत्र, अदेय प्रमाण पत्र, कब्जा पत्र, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र आदि गुम हो गये हैं मिलने पर संपर्क-राकेश 7728029302

NAME CHANGE

I Rachna Singh D/o Dharmendra Singh Yadav residing at C-814, Ashiana Greenwood, Jagatpura, Jaipur-302025 Rajasthan. Do hereby solemnly affirm and state that I have changed my name from Rachna Singh Yadav to Rachna Singh. In future I will be known by my changed name.

My son tanmay kumar father name has been changed from rajendra singh sirowa to rajender singh, (as per birth certificate records) vide afidivate 15 March 2023.

मैंने मेरा नाम रूप सिंह से बदलकर रूप सिंह रावत रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावें। रूप सिंह रावत 2-ख-35, मनु मार्ग, हाऊसिंग बोर्ड, अलवर

मैं धनपत राय पुत्र श्री सुरेन्द्रनाथ शर्मा निवासी 6/33 RHB Clony, Goverdhan Villas, उदयपुर ने अपना नाम धनपत राय शर्मा करवा लिया है जिसे राजथान राजपत्र 19.01.2023 भाग-7 में प्रकाशित है। अतः भविष्य में मुझे धनपत राय शर्मा पुत्र श्री सुरेन्द्रनाथ शर्मा के नाम से जाना जावें।

तीये की बैठक

अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरी धर्मपत्नी श्रीमती सुमन कंवर का स्वर्गवास दिनांक 15.03.2023 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 17.03.2023 को शाम 5 से 6 बजे तक निवास स्थान मकान नंबर-26, विजय वाटिका, नायला रोड, सुंदर नगर के सामने, जयसिंहपुरा खोर जयपुर पर होगी। **शोकाकुल :** नंद सिंह (पति), रवि सिंह (पुत्र), सुरेन्द्र सिंह, महेन्द्र सिंह, किशन सिंह, शेर सिंह (देवर), सीमा कंवर-विशाल सिंह, ओम कंवर-कुलदीप सिंह (पुत्री-दामाद) एवं समस्त परिवारजन। मो. 9784492257, 8696131314

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।